<u>वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर) रीवा, म0प्र0</u>
<u>उपस्थितः– शरद कुमार गुप्त (सप्तम डी0जे0)</u>
<u>प्रकरण कमांक– ई.एक्स.ए.बी. 99/2022</u>

1. मे. टी.वी.एस. केडिट सर्विसेस लिमिटेड जयालक्ष्मी स्टेट तीसरी मंजिल हडोवास रोड़ नुनगमबकम चेन्नई–600006 द्वारा प्रभाकर दुबे लीगल मैनेजर, टी.वी.एस. लिमिटेड रीवा, म.प्र.

.... आवेदक/अवार्डधारी

विरूद्ध

1. सुनील कुमार पटेल 120, वार्ड नं. 20 रघुराजगढ़ रोड़ स्कूल के पास, सेलपरी, तहसील रायपुर 486338 म0प्र0 485001

.... अनावेदकगण/निर्णीतऋणीगण

10.01.2026

प्रकरण पेश हुआ।

पक्षकार पूर्ववत्।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद विधि टीआरएफ लिमिटेड वर्सेस इनरगो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड (2017) 8 एस0सी0सी0 377, परकिन्सन ईस्टमेन आर्किटेक्ट डीपीसी वर्सेस एससीसी (इंडिया) लिमिटेड (2020) 20 एस0सीसी0 760 और माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सेन्ट्रल आर्गनाइजेशन फार रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन वर्सेस ईसीआई स्पिक (2025) 4 एस0सी0सी0 641 में घोषित विधि के आधार पर प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.09.2025 के अनुसार प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण में निष्पादनाधीन एकल आर्बिटेटर के अवार्ड की निष्पादनीयता के संबंध में आवेदक/अवार्डधारी की ओर से दस्तावेज सहित लिखित उत्तर प्रस्तुति हेतु तिथि नियत है। इस संबंध में आवेदक/अवार्डधारी को कई बार समय दिया जा चुका है किन्तु आज तक आवेदक/अवार्डधारी की ओर से वांछित दस्तावेज सहित लिखित उत्तर प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। और आज भी समय की मांग की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक को आगे समय दिये जाने का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं पाया जाता है।

अतः प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण आवदेक/अवार्डधारी की ओर से आदेश दिनांक 12.09.2025 के अननुपालन(non-compliance) के कारण बिना तजबीज निरस्त किया जाता है।

<u>यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक/अवार्डधारी को अनावेदक/निर्णीतऋणी से कोई ऋण विधितः वसूलनीय है तो आवेदक/अवार्डधारी उक्त शोध्य ऋण की वसूली के लिए विधि के अनुसार अन्य कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।</u>

प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण का व्यय यदि कोई हो, पक्षकार स्वयं वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या निर्धारित सूची के अनुसार, जो भी कम हो, देय होगा तदनुसार व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण का परिणाम नियमानुसार

सी0आई0एस0 साफ्टवेयर में दर्ज करने के उपरान्त अभिलेख संचित किये जाने हेतु निर्धारित अवधि के अंदर न्यायिक अभिलेखागार रीवा में प्रेषित किया जावे।

सही/–

शरद कुमार गुप्त
पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय रीवा
(सप्तम् जिला न्यायाधीश) जिला–रीवा, म0प्र0

SHARAD KUMAR GUPTA

Digitally signed by SHARAD KUMAR GUPTA
Date: 2026.01.12 13:29:32 +0530